

महाराष्ट्र शासन
सह संचालक (उच्च शिक्षण)
पुणे विभाग, १७ डॉ. आंबेडकर रोड, पुणे-४११००१

दूरध्वनी क्र.०२०/२६१२७८३३

क्र.ससं/उशि/पुवि/१.१०.१७/पदे अनुज्ञेयता/२०१८ ३०४४ (ना.16)

फॅक्स क्र.०२०/२६०५१६३२

दि.२१/१२/२०१८

प्रति,


प्राचार्य,

कर्मवीर रामरावजी आहेर कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय,

देवळा नाशिक

विषय:- दि.१/१०/२०१७ च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर शिक्षक व शिक्षकेतर पदांची अनुज्ञेयता...

- संदर्भ:-**
- १) शासन निर्णय, क्र.युएसजी-११७८/२५२५१/XXII सेल, दि.११/०६/१९७८.
 - २) शासन निर्णय, क्र.एनजीसी/२०८०/१६०२८४/(५९८७)युएनआय-२, दि.०१/०६/१९८९.
 - ३) शासन निर्णय, क्र.एनजीसी/१२८६/१२२४/युएनआय-४, दि.२७/०२/१९८९.
 - ४) शासन निर्णय, क्र.बीजीटी-१०९७/प्र.क्र.२४/अ/अर्थसंकल्प-१९, दि.१५/१२/१९९८.
 - ५) शासन निर्णय, क्र.युएसजी-१४९३/(२६)/मशि-१, दि.१७/०५/१९९४.
 - ६) शासन निर्णय, क्र.एनजीसी-२२९९/(४७९५)/विशि-४, दि.२६/०८/१९९९.
 - ७) शासन निर्णय, क्र.असक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तीय सुधारणा, दि.१०/०९/२००१.
 - ८) शासन निर्णय, क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९(भाग-३)/२००२/वित्तीय सुधारणा, दि.०९/०१/२००३.
 - ९) शासन निर्णय, क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९(भाग-६)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दि.०१/०७/२००४.
 - १०) शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही-२००७/प्र.क्र.१२७/०७/१२, दि.२७/०८/२००७.
 - ११) शासन परिपत्रक, क्र.एनजीसी-२०१०/(प्र.क्र.४१५/१०)/विशि-१, दि.०७/०९/२०११.
 - १२) शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२०११/(४०४/११)/विशि-१, दि.१९/१०/२०११.
 - १३) शासन निर्णय, क्र.आढावा-१५१३/प्र.क्र.१२५/मशि-५, दि.०३/११/२०१८.
 - १४) मा.संचालनालयाकडील क्र.अशाम/२०१७/महा.पदांचा आढावा/मवि-१/१९८५४, दि.१२/१२/२०१८.
 - १५) मा.संचालनालयाकडील क्र.अशाम/२०१७/महा.पदांचा आढावा/मवि-१/२००२७, दि.१४/१२/२०१८.
 - १६) आपला दि. / / रोजीचा प्रस्ताव.



Shri. D. Y. Waghmare
A.P.
09/01/19

उपरोक्त विषयान्वये कळविण्यात येते की, संदर्भ क्र.१६ अन्वये प्राप्त झालेला आपल्या महाविद्यालयाच्या प्रस्तावानुसार दि.०१/१०/२०१७ च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर विद्याशाखा, विषय, अभ्यासक्रमनिहाय कार्यभार तपासण्यात आला. कार्यभार परिगणना मानकानुसार शासनाने विहित केलेल्या तरतूदीच्या अनुषंगाने खालील अटीच्या अधीन राहून महाविद्यालयासाठी शिक्षक / शिक्षकेतर पदे अनुज्ञेय करण्यात येत आहेत.

शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.आढावा-१५१३/प्र.क्र.१२५/मशि-५, दि.०३/११/२०१८ नुसार पदांची अनुज्ञेयता दि.०१/१०/२०१७ च्या विद्यार्थी संख्येनुसार आधारीत आहे. मात्र, आकृतिबंध अंतिम झालेला नसल्याने, आकृतिबंधास वित्त विभागाची अंतिम मंजूरी मिळेपर्यंत सदरची पदे अंतिम समजण्यात येऊ नयेत. प्रस्तूत बाब आपल्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे.

शिक्षकीय पदे

| अ.क्र. | विषय/पदनाम | २०१७-१८ चा एकूण कार्यभार | सन २०१७-१८ | | | शेरा |
|--------|--------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|---------|
| | | | अनुज्ञेय पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | |
| १ | प्राचार्य | ६ | १ | १ | ० | वाणिज्य |
| २ | ग्रंथपाल | - | १ | १ | ० | |
| ३ | शा.शि.संचालक | - | १ | १ | ० | |
| १ | इंग्रजी | ५६ | ३ | ३ | ० | |
| २ | मराठी | ४० | २ | १ | १ | |
| ३ | हिंदी | | | | ० | |
| ४ | पशियन | | | | ० | |
| ५ | संगीत | | | | ० | |
| ६ | उर्दू | | | | ० | |
| ७ | इतिहास | ३२ | २ | २ | ० | |
| ८ | अर्थशास्त्र/बँकिंग | ४८ | २ | २ | ० | |
| ९ | राज्यशास्त्र | १६ | १ | १ | ० | |
| १० | अकॉटॅसी | | | | ० | |
| ११ | कॉस्टींग | | | | ० | |
| १२ | विधी (एम.लॉ) | | | | ० | |
| १३ | वाणिज्य | ५६ | ३ | १ | २ | |
| १४ | रसायनशास्त्र | १५४ | ७ | ४ | ३ | |
| १५ | पदार्थविज्ञान | ७० | ३ | २ | १ | |
| १६ | वनस्पतीशास्त्र | १३४ | ५ | ३ | २ | |
| १७ | प्राणीशास्त्र | १२६ | ५ | ३ | २ | |
| १८ | संख्याशास्त्र | | | | ० | |
| १९ | गणित | २२ | १ | १ | ० | |

| | | | | | | |
|----|-------------------|-----|----|----|--|----|
| २० | सीएसएम | | | | | ० |
| २१ | इलेक्ट्रॉनिक्स | | | | | ० |
| २२ | सूक्ष्मजीवशास्त्र | | | | | ० |
| २३ | भूगोल | ३८ | २ | २ | | ० |
| २४ | मानसशास्त्र | | | | | ० |
| २५ | बी.लिब | | | | | ० |
| २६ | समाजशास्त्र | | | | | ० |
| २७ | विधी | | | | | ० |
| २८ | फ्रेंच | | | | | ० |
| | एकूण | ७९२ | ३९ | २८ | | ११ |

कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील (अनुदानित) विद्यार्थी संख्या खालीलप्रमाणे:-

| (कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयास संलग्नित असल्यास) | कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालय | | विज्ञान विद्याशाखेतील विद्यार्थी संख्या | |
|--|-----------------------------|------|---|-----|
| | विद्यार्थी संख्या | | विद्यार्थी संख्या | |
| | कनिष्ठ महाविद्यालय | ११६० | कनिष्ठ महाविद्यालय | ४८० |
| | वरिष्ठ महाविद्यालय | ११२० | वरिष्ठ महाविद्यालय | ३६० |
| | एकूण | २२८० | एकूण | ८४० |

शिक्षकेतर पदे

| अ.क्र. | पदनाम | अनुज्ञेय पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे | शेरा |
|--------|--------------------|--------------|------------|-------------|------|
| १ | प्रबंधक | १ | ० | १ | |
| २ | अधिक्षक | १ | ० | १ | |
| ३ | मुख्य लिपीक | १ | ० | १ | |
| ४ | कनिष्ठ लघुलेखक | १ | १ | ० | |
| ५ | सहाय्यक ग्रंथपाल | १ | ० | १ | |
| ६ | वरिष्ठ लिपीक | १ | २ | -१ अतिरिक्त | |
| ७ | कनिष्ठ लिपीक | ५ | ३ | २ | |
| ८ | प्रयोगशाळा सहाय्यक | ३ | ३ | ० | |
| ९ | ग्रंथालय लिपीक | २ | १ | १ | |
| १० | ग्रंथालय परिचर | ७ | ६ | १ | |
| ११ | प्रयोगशाळा परिचर | १२ | १२ | ० | |
| १२ | शिपाई | ७ | ५ | २ | |
| | एकूण | ४२ | ३३ | ९ | |

अटी व शर्ती:-

- प्रस्तुतची पदे महाविद्यालयातील कार्यरत असलेल्या अनुदानित विद्याशाखा / तुकड्या / विषय यामधील प्रवेशित विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन परिगणीत होणाऱ्या कार्यभारानुसार अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहेत.
- महाविद्यालयाने पदनिश्चितीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावात नमुद केलेल्या विद्याशाखा/ तुकड्या/ विषय व विद्यापीठाने प्रमाणित केलेल्या विद्यार्थीसंख्येची प्रत्यक्ष महाविद्यालयात पटनोंदणी अनिवार्य राहिल.
- अनुदान पात्रतेसाठी अनिवार्य असलेली विद्यार्थीसंख्या विचारात घेऊन कार्यभार परिगणना करण्यात आलेली आहे.
- प्रात्यक्षिकांसाठी शासन नियमानुसार विहित केलेल्या विद्यार्थी संख्येची बॅच (गट) अनिवार्य राहिल.
- व्याख्याने / प्रात्यक्षिके/ टयूटोरियल (पाठनिर्देशन), प्रोजेक्ट वर्क (प्रकल्प कार्य) या करिता नमुद असणाऱ्या तासिका शासनाने विहित केलेल्या निकषानुसार बंधनकारक राहतील.
- महाविद्यालयास अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या पदांनुसार शासनाच्या प्रचलित आरक्षण धोरणानुसार विहित प्राधिकाराकडून आरक्षण बिंदू नामावली प्रमाणित करणे अनिवार्य आहे.
- पुढील शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थीसंख्येत घट झाल्यास किंवा अन्य कारणास्तव अनुदानित विभागातील कार्यभार कमी झाल्यास अनुज्ञेय पदसंख्या कमी करण्यात येईल.
- अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजनाबाबत प्रचलित शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समावेशन झाल्याशिवाय पदभरतीसाठी परवानगी देण्यात येणार नाही.
- महाविद्यालयाच्या अनुदान पात्र कार्यभारावर आधारित पदे अनुज्ञेय करण्यात आलेली आहेत. अनुज्ञेय पदांवरील पदभरतीसाठी स्वतंत्रपणे शासनाच्या प्रचलित धोरण व कार्यपध्दतीनुसार प्रस्ताव सादर करून ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे.
- अनुज्ञेय पदांवरील पदभरती शासनाच्या प्रचलित पदभरती धोरणानुसार पूर्वपरवानगी शिवाय (ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय) पदभरती करण्यात येऊ नये. शासन परवानगीशिवाय विहित कार्यपध्दतीचे अनुपालन न करता नियुक्त्या केल्यास / नियुक्तीबाबत कोणत्याही स्तरावर अनियमितता आढळून आल्यास सादर पदावरील वेतन अदायगी अमान्य केली जाईल. अशा नियुक्त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित व्यवस्थापन व महाविद्यालय यांची राहिल.

(डॉ.विजय नारखेडे)

सह संयोजक (उच्च शिक्षण)

पुणे विभाग, पुणे-१